मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन–462003

कमांकः एफ1-33/2008/20–1 भोपाल, दिनांक – 9.7.2008

प्रति,

1. समस्त, कलेक्टर, म0प्र0।
2. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म0प्र0।
3. समस्त आयुक्त नगर निगम,म0प्र0।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म0प्र0।
5. समस्त, मुख्य नगरपालिका अधिकारी,नगरपालिका/नगर पंचायत,म0प्र0।
6. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,म0प्र0।
7. समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी,म0प्र0।

विषयः–म0प्र0 पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम 2005 एवं संशोधित नियम, 2008 तथा म0प्र0 नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम 2005 एवं संशोधित नियम, 2008 के तहत् संविदा शाला शिक्षकों का नियोजन।

––0––

मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम 2005 एवं संशोधित नियम, 2008 तथा मध्यप्रदेश नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम 2005 एवं संशोधित नियम, 2008 के तहत मध्यप्रदेश ब्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा 2008 का आयोजन किया जा रहा है। संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1,2 एवं 3 की पात्रता परीक्षा क्रमशः 29.06.2008, 20.07.2008 एवं 10.08.2008 को आयोजित की जा रही है। पात्रता परीक्षा 2008 में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को संविदा शाला शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु जारी विज्ञापन के अनुसार आवेदन कर नियोजन की कार्रवाई नियुक्तिकर्ता अधिकारी स्तर से की जावेगी।

नियम, 2005 की अनुसूची–2 में उल्लेखित न्यूनतम अर्हताधारी अभ्यर्थी संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा 2008 में सम्मिलित हो सकेंगें तथा परीक्षा उपरान्त व्यापम द्वारा अर्ह अभ्यर्थियों को एक प्रमाण–पत्र जारी किया जावेगा, जिसमें प्राप्तांकों का स्पष्ट उल्लेख होगा। इसी तारतम्य में पात्र अभ्यर्थी विज्ञापन के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगें।

जिला स्तर पर भर्ती प्रकिया :–

इन नियमों के तहत् संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन हेतु विभिन्न नियोजनकर्त्ता प्राधिकारी एवं विभिन्न अधिकारियों द्वारा निम्नवत् कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में सम्पन्न की जाना हैं :–

(1) रिक्तियों का आकलन एवं अनुमोदन :

(i) इन नियमों के नियम 4 (1) के तहत् कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा उक्त नियमों एवं आयुक्त, लोक शिक्षण के परिपत्र कमांक/सं.शा.शि./डी/46/2008/175, भोपाल, दिनांक 07.3.2008 के अनुसार दिनांक 01.4.2008 की स्थिति में रिक्त पदों की गणना के प्रस्ताव प्राप्त हुये है। नवीन उन्नत माध्यमिक शालायें, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल के लिये दिनांक 01.4.2008 के पश्चात् स्वीकृत नये पदों को आपके द्वारा प्रेषित रिक्तियों में सम्मिलित करते हुये सरकार से अनुमोदन उपरान्त शीघ्र आपको भेजे जावेगें।

(ii) उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही के आधार पर रिक्तियों का (श्रेणीवार एवं विषय/विषय–समूहवार) निर्धारण कर निकायवार भर्ती हेतु पदों का आकलन किया जाकर आयुक्त लोक शिक्षण/आयुक्त आदिवासी विकास को सूचित किया जाए।

(2) आरक्षण का निर्धारण :

(i) सरकार से संविदा शाला शिक्षकों के रिक्त पदों का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् नगरीय निकायों, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (कमांक 21 सन् 1994) के उपबन्धों, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) नियम, 1998 एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसकी अधिसूचना कमांक –एफ–6–1/2002 आ0प्र0/एक, दिनांक 19 सितम्बर, 2002 द्वारा जारी

किये गए अनुदेशों के अनुसार और राज्य शासन द्वारा, समय–समय पर जारी किए गये आदेश के अनुसरण में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित किये जाएंगे ।

(ii) रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए महिलाओं, निःशक्तजनों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण, नियम 6 (7) (ख) के अनुसार होगा ।

(iii) पिछड़ी आदिम जन जातियों के लिए आरक्षण नियम 7 के अनुसार होगा।

(iv) निःशक्तजनों के लिये पदों का चिन्हांकन परिपत्र क्र. एफ 1–24/05/20–1, भोपाल, दिनांक 17.11.2005 एवं निःशक्त व्यक्तियों के लिये आरक्षण की कार्रवाई म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक : 380/1773/05/आ0प्र0/एक, भोपाल, दिनांक 24.03.06 के अनुक्रम में की जाए ।

(v) मॉडल–3 के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास मय स्कूल के प्रति स्कूल चार पद महिलाओं के लिए ही पूर्णतः आरक्षित होंगे।

शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत पदों के लिए नियोजनकर्त्ता प्राधिकारी निकाय (ग्रामीण क्षेत्र हेतु जिला पंचायत/जनपद पंचायत) एवं नगरीय क्षेत्र हेतु (नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत) के द्वारा पृथक–पृथक रोस्टर पंजी संधारित की जाए एवं उसकी एक प्रति सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग तथा जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रखी जाए ।

(3) विज्ञापन का प्रकाशन एवं समय सारणी :

(i) संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1, 2 एवं 3 की भर्ती प्रक्रिया के लिये शासन स्तर से एक समय–सारणी तैयार कर पृथक से आपको भेजी जा रही है। समय–सीमा में संविदा शाला शिक्षकों के लिये नियोजन की कार्रवाई पूरे प्रदेश में एक साथ संपन्न हो, इस हेतु समय–सारणी में उल्लेखित तिथियों पर गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना आपके स्तर से सुनिश्चित करना होगा।

(4) **आवेदन पत्र प्राप्त करना :**

(i) संविदा शाला शिक्षक के रिक्त पदों के नियोजन हेतु निकायों द्वारा विज्ञापन के प्रकाशित किये जाने के पश्चात् निर्दिष्ट समय सारणी अनुसार नियोजनकर्त्ता प्राधिकारी निकाय को अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन–पत्र प्रस्तुत किये जाएगें। नियोजनकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु समुचित व्यवस्था की जाएगी । आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदन पत्र एवं संलग्नकों के प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या अंकित की जाकर आवेदन पत्र के मुख्य पृष्ठ पर कुल पृष्ठों की संख्या का उल्लेख करते हुए प्राप्तकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएगें तथा अभ्यर्थी/आवेदक को उससे प्राप्त दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप में एक कम्प्यूटर जनित पावती तत्काल दी जाएगी । यदि कम्प्यूटर जनित पावती दिया जाना संभव नहीं हो तो ऐसी स्थिति में आवेदक को निर्धारित प्रारूप में हस्तलिखित पावती उससे प्राप्त सभी दस्तावजों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अनिवार्यतः प्रदान की जाए।

(ii) प्रत्येक संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 के अभ्यर्थियों की बी0एड0/बी0एड0 (विशेष शिक्षा), संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 के अभ्यर्थियों को बी0एड0/बी0एड0 (विशेष शिक्षा)/ बी0टी0सी0/डी0एड0 /डी0एस0ई0 और संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के अभ्यर्थियों को डी0एड0/बी0टी0सी0/डी0एस0ई0 के आधार पर 20 अंक दिये जाएंगे ।

क0	पदनाम	प्रशिक्षण संबंधी योग्यता जो मान्य की जाएगी	प्रशिक्षण संबंधी योग्यता जो मान्य नहीं की जाएगी
1.	सं0शा0शि0 श्रेणी–1	बी0एड0/बी0एड0 (विशेष शिक्षा)	डी0एड0/डी0एस0ई0/ बी0टी0सी0 एवं अन्य उपाधियां
2.	सं0शा0शि0 श्रेणी –2	बी0एड0/बी0एड0 (विशेषशिक्षा),डी0एड0/डी0ए स0ई0/ बी0टी0सी0	अन्य उपाधियां
3.	सं0शा0शि0 श्रेणी–3	डी0एड0/डी0एस0ई0/ बी0टी0सी0	बी0एड0/बी0एड0 (विशेष शिक्षा) एवं अन्य उपाधियां

स्पष्टीकरण :

(i) अभ्यर्थी को उक्त प्रशिक्षण संबंधी वांछित उपाधि/ पत्रोपाधि/प्रमाण–पत्र धारण करने पर अंक देते समय उक्त उपाधि/पत्रोपाधि/प्रमाण पत्र के लिए आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंकों का ध्यान नहीं रखा जाएंगा ।

(ii) अभ्यर्थी के द्वारा वांछित उपाधि, पत्रोपाधि, प्रमाण पत्र या उनकी अंक सूची आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगी ।

(iii) बी0एड0 (विशेष शिक्षा) अथवा डी0एस0ई0, भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक हैं ।

(5) मेरिट सूची तैयार करना :

1. नियोजनकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र–1 के अनुसार एक सूची (एम.एस. एक्सेल में) तैयार की जाएगी, यह सूची संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 हेतु विषयवार, संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 हेतु विषय–समूहवार एवं संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 हेतु एकीकृत तैयार की जावेगी। इस सूची के द्वारा एकीकृत एवं प्रवर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी । मेरिट सूची तैयार करने हेतु अधिकतम 100 अंक निम्नानुसार दिये जाएंगें :–

(i) संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों के अनुपात में अधिकतम 80 अंक दिये जाएगें। संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा के पूर्णांक 200 अंक हैं। पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों को प्रपत्र–1 के कॉलम–13 में अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख अंकित किया जाएगा तथा पात्रता परीक्षा का अधिभार कॉलम नं. 13 में अंकित (प्राप्तांकों का 40 प्रतिशत) कॉलम–14 में अंकित किया जाएगा।

(ii) यदि अभ्यर्थी नियम–6 (9) (ग) के अनुसार वांछित प्रशिक्षण योग्यता रखता हैं तो प्रपत्र–1 के कॉलम–15 में उसके नाम के सम्मुख 20 अंक अंकित किये जाएंगे।

(iii) प्रपत्र–1 के कॉलम–16 में 14 एवं 15 का योग अर्थात् अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक उसके नाम के सम्मुख अंकित किया जाएगा

उदाहरण : यदि संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 के किसी अभ्यर्थी को पात्रता परीक्षा में 200 अंकों में से 120 अंक प्राप्त होते है तथा अभ्यर्थी ने बी0एड0 प्रशिक्षण प्राप्त किया हैं तो उसके अंकों की गणना निम्नवत् होगी:–

$$\frac{\text{अभ्यर्थी को पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंक} \times 40}{100}$$

$$\frac{120 \times 40}{100}$$

पात्रता परीक्षा के प्राप्तांकों का अधिभार = 48 अंक

इस प्रकार अभ्यर्थी को पात्रता परीक्षा का अधिभार 48 अंक, प्रशिक्षण योग्यता का अधिभार 20 अंक इस प्रकार कुल 68 अंक प्राप्त होंगे।

2. प्रपत्र–1 में तैयार सूची के आधार पर सर्वप्रथम एक एकीकृत मेरिट सूची तैयार की जावेगी, जिसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में सबसे उपर दर्शाया गया हो और अन्य नाम घटते कम में दर्शाये गये हो। उक्त एकीकृत मेरिट सूची के आधार पर अनारक्षित प्रवर्ग एवं अन्य प्रवर्गो की मेरिट सूची तैयार की जावेगी। यदि अनारक्षित प्रवर्ग की सूची में योग्यता के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग का कोई अभ्यर्थी हो तो उसके नियोजन को आरक्षित प्रवर्ग की रिक्ति के विरूद्व नहीं माना जावेगा। इसके पश्चात् आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी के नाम, ऐसे प्रवर्गो में से प्रत्येक प्रवर्ग को आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक सीमित इनकी योग्यता के कम में दर्शाए जावेंगे। नियोजनकर्त्ता प्राधिकारी के द्वारा एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी, जिसमें उतनी संख्या में अभ्यर्थी अन्तर्विष्ट होंगें, जैसा नियोजनकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किया जाएं। एकीकृत एवं प्रवर्गवार मेरिट सूची में महिला/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक के आरक्षित पदों पर उन्हीं श्रेणियों के अभ्यर्थियों को यथास्थान दर्ज किया जाएगा। महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण हैं अर्थात् प्रत्येक प्रवर्ग में 50 प्रतिशत पद महिलाओं से भरे जाएंगे ।

3. आयुक्त, नगर निगम, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका /नगर पंचायत तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला/जनपद पंचायत द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उपरोक्त कंडिका अनुसार मेरिट सूचियां तैयार की जाएगी ।

4. कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्रों एवं उनके आधार पर उपरोक्तानुसार तैयार की गई एकीकृत मेरिट सूची एवं प्रवर्गवार मेरिट सूचियों का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक नगरीय निकाय/पंचायत के लिए तीन अधिकारियों की एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अथवा समकक्ष अधिकारी, एक जिलास्तरीय अधिकारी एवं एक शिक्षा विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग के प्राचार्य उ0मा0वि0/व्याख्याता उ0मा0वि0 सदस्य होंगे। यदि समिति का कोई सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का न हो, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक समकक्ष अधिकारी सदस्य के रूप में रखा जाए।

5. यह समिति कंडिका–3 अनुसार प्रपत्र–1 में तैयार की गई सूची एवं प्रवर्गवार मेरिट सूचियों का परीक्षण आवेदन पत्रों, संलग्न विभिन्न प्रमाण–पत्रों के आधार पर करेगी। परीक्षणोपरान्त समिति के सदस्य विभिन्न प्रवर्गवार तैयार की गई मेरिट सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर पूर्ण नाम/पदनाम अंकित करेंगे तथा प्रत्येक मेरिट सूची के अंतिम पृष्ठ पर निम्नानुसार प्रमाणीकरण अंकित किया जावें।

• "उक्त मेरिट सूची का परीक्षण, अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों एवं संलग्न आयु संबंधी प्रमाण पत्र, आयु सीमा में छूट का प्रमाण पत्र, व्यापम द्वारा जारी प्रमाण–पत्र, शिक्षण अनुभव प्रमाण–पत्र, प्रशिक्षण योग्यता प्रमाण–पत्र, विकलांगता/भूतपूर्व सैनिक/जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों तथा अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्रों में की गई घोषणाओं एवं अन्य सहपत्रों के आधार पर तैयार की गई सूची का परीक्षण कर लिया गया हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सूची संविदा शाला शिक्षक भर्ती नियमों के अनुरूप तैयार की गई हैं।"

उपरोक्तानुसार परीक्षण संबंधी कार्यवाही के पश्चात् समिति द्वारा मेरिट सूची का संबंधित नियोजनकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन कर अंनतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

(6) अनंतिम (Provisional) चयन सूची का प्रकाशन :

नियोजनकर्ता प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के अनुसार तैयार की गई प्रवर्गवार मेरिट सूची के आधार पर अनंतिम (**Provisional**) चयन सूची (सह प्रतीक्षा सूची) का प्रकाशन, स्थानीय समाचार पत्रों में एवं कार्यालय के सूचना फलक पर किया जाएगा एवं उस पर आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी ।

ऐसे अभ्यर्थियों की भी एक सूची जिनका अनंतिम (**Provisional**) रूप से चयन नहीं किया गया है उनके नाम के साथ उनके द्वारा अभिप्राप्त अंकों के ब्यौरे सम्मिलित करते हुए तैयार की जाकर उसका प्रकाशन कार्यालय के सूचना फलक पर किया जाएगा ।

(7) आपत्तियां प्राप्त करना :

कलेक्टर द्वारा निकायवार अनंतिम चयन सूची (सह प्रतीक्षा सूची) पर आपत्तियां प्राप्त करने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी । यह अधिकारी/कर्मचारी नियत स्थल पर निर्धारित तिथियों एवं समय में उपस्थित रहकर आपत्तियां प्राप्त करेंगे। आपत्तियों को दर्ज करने हेतु एक पंजी संधारित की जाएगी ।

आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि से अगले दो कार्य दिवसों में आपत्तियां संबंधित नियोजनकर्त्ता प्राधिकारी निकाय की अपील समिति को प्रेषित् की जाएगी । यदि किसी नियोजनकर्त्ता प्राधिकारी निकाय के द्वारा प्रकाशित अंनतिम चयन सूची के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती हैं तो भी उस नियोजनकर्त्ता प्राधिकारी निकाय को इस आशय की सूचना दी जाएगी ।

(8) आपत्तियों का निराकरण :

कलेक्टर द्वारा निकायवार अनंतिम चयन सूची (सह प्रतीक्षा सूची) पर प्राप्त समस्त आपत्तियां संबंधित नियमों की अनुसूची–दो के कॉलम 6 में गठित अपील समिति को प्रेषित की जाएगी। अपील समिति के द्वारा कलेक्टर से प्राप्त आपत्तियों

का निराकरण आपत्तिकर्त्ता को सम्यक् सुनवाई का अवसर प्रदान कर किया जाएगा। आपत्तियों पर विनिश्चय की सूचना सम्बन्धित को कारणों का उल्लेख करते हुए लिखित में दी जाएगी।

(9) **अंतिम (Final) चयन सूची का प्रकाशन :**

आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त अंतिम (**Final**) चयन सूची (सह प्रतीक्षा सूची) का प्रकाशन किया जावेगा, तथा इसे स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जावेगा। अंतिम चयन सूची (सह प्रतीक्षा सूची) अंतिम प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक के लिए विधिमान्य होगी।

(10) **नियोजन (संविदा) :**

अंतिम चयन सूची के आधार पर नियोजनकर्त्ता प्राधिकारी नियम के अनुसार संलग्न अनुसूची–4 में दर्शाए क्रमानुसार प्रवीणता के अवरोही क्रम में नियोजन की कार्यवाही परामर्श (**Counseling**) के द्वारा की जावगी। प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के समन्वय में जिले की **सभी निकायों की एकीकृत काउसिलिंग, की जावेगी।** काउसलिंग के समय उपस्थित अभ्यर्थी से पात्रता परीक्षा 2008 के प्रमाण–पत्र सह अंकसूची शैक्षणिक योग्यता तथा शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता की अंकसूची की मूल प्रति जमा करायी जावेगी जिसे नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा पूर्ण परीक्षण/सत्यापन के उपरांत 60 दिवस के भीतर आवेदक को वापस की जाएगी। परामर्श (**Counseling**) उपरांत नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को मौका स्थल पर ही संविदा शाला शिक्षक के नियुक्ति आदेश प्रदान किए जाएंगे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(एम.एम. उपाध्याय)
प्रमुख सचिव
म0प्र0 शासन ,स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0कमांक/एफ 1-33/2008/20-1 भोपाल, दिनांक- 9.7.2008

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, मुख्य मंत्री,म0प्र0 शासन।

3. स्टाफ आफीसर,मुख्य सचिव म0प्र0 शासन।

4. विशेष सहायक, मान. मंत्री/राज्यमंत्री म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।

5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।

6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।

7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिवासी विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।

8. संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल, म0प्र0।

9. आयुक्त, लोक शिक्षण/आदिवासी विकास विभाग, भोपाल, म0प्र0।

10. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल,म0प्र0।

प्रमुख सचिव

म0प्र0 शासन ,स्कूल शिक्षा विभाग

lfonk 'kkyk f'k{kd J.kh&1@J.kh&2 @J.kh&3 d fy, vkonu i=

¼ iR;d J.kh d fy; iFkd&iFkd vkonu djuk gkxk ½

vkonu&i= lfgr lyXuk dh dy i"B l[;k

ifr]

vk;Dr]
uxjikfydk fuxe@
e[; uxjikfydk vf/kdkjh
uxjikfydk@uxj ipk;r]
e[; dk;ikyu vf/kdkjh
ftyk ipk;r@ tuin ipk;r
ftyk----------

4x 6 Cm. vkdkj
dk Cyd ,M 0gkbV QkVk

fo"k;%& lfonk 'kkyk f'k{kd J.kh ----------fo"k;@leg ----------d fy, vkonu i=A

&&0&&

1- vkond dk uke % Jh@Jherh@dekjh@----------

2- firk@ifr dk dk uke % Jh----------

3- iox ¼vuk0@v0t0k0@ % ----------
v0t0t0k0@v0fi0o0
@Primitive Tribes ½

4- fodykx % gk @ ugh

5- Hkrio lfud % gk @ ugh

6- tUefrFk % vdk e ----------
'kCnk e----------
¼iek.k&i= lyXu dj½

7- irk % ----------
¼i= 0;ogkj d fy,½ xke ----------okM ----------ekgYyk ----------
Fkkuk----------ikLV vkfQl----------
ftyk----------njHkk"k dekd----------

8- LFkk;h irk % ----------
xke ----------okM ----------ekgYyk ----------
Fkkuk----------ikLV vkfQl----------
ftyk----------njHkk"k dekd----------

9- xg ftyk % ----------

10- ¼1½ ookfgd fLFkfr % fookfgr@vfookfgr

¼2½ fookfgr gku dh fLFkfr % ----------
e fookg dh fnukd

11- fookfgr gku dh fLFkfr % ----------
e cPpk dh l[;k

12- nk l vf/kd gku ij D;k % gk @ ugh
rhlj cPp dk tUe 26&1&01
d i'pkr gvk g \

13- 'kf{kd ;kX;rk, gkbLdy ¼10 oh ½ l ikjHk djr g, ¼dkydekulkj½ %&

Ø-	mRrh.k ijh{kk	o"k	ckM@ fo'ofo|ky;	fy, x, rhu e[; fo"k;	i.kkd	ikIrkd	ifr'kr
1							
2							
3							
4							
5							

14- if'k{k.k lc/kh ;kX;rk, ¼ch0,M0@ch0Vh0lh0@ch0,M0&fo'k"k f'k{kk@Mh0,M0@Mh0,l0b0½

Ø-	mRrh.k ijh{kk	o"k	ckM@fo'ofo|ky;@iek.k i= tkjh dju oky lLFkku	i.kkd	ikIrkd	ifr'kr

15- 0;kolkf;d ijh{kk e.My }kjk vk;kftr lfonk 'kkyk f'k{kd ik=rk ijh{kk dk fooj.k %&

l0d0	lfonk 'kkyk f'k{kd			i.kkd	iklrkd
	J.kh	vudekd	fo"k;@ fo"k; leg		
				200	

LFkku---------- gLrk{kj vkond ----------

fnukd---------- uke----------

% ?kk"k.kk %

e lR;fu"Bk iod ?kk"k.kk djrk g fd]

1@ bl vkonu e nh xb tkudkjh vkj C;kjk ej i.k Kku vkj fo'okl d vulkj lgh g vkj vxj vkx pydj vkonu i= e Hkjk x;k dkb Hkh C;kjk vlR; ik;k x;k] rk ejh mEehnokjh@fu;ktu jnn@lekIr le>h tk;xh A

2@ ej fo:} dkb idj.k ifyl Fkkuk@U;k;ky; e yfcr ugh g] u gh e> fdlh Hkh idkj d n.M l n.Mkfn"V fd;k x;k g A

3@ e fnukd 26&01&2001 d i'pkr rhlj thfor cPp dk ekrk@firk ugh cuh@cuk g A

vkond d gLrk{kj ,o fnukd

¼ **ijk uke** ---------- ½

lyXuk dk fooj.k %

1@ tUefrfFk iek.khdj.k lc/kh iek.k i= A

2@ 'k{kf.kd ;kX;rk lc/kh iek.k&i= ¼gkbLdy d i'pkr½

3@ if'k{k.k ;kX;rk lc/kh iek.k& i=A

4@ 0;kolkf;d ijh{kk e.My }kjk tkjh iek.k&i=A

5@ lkekU; i'kklu foHkkx d }kjk tkjh fun'kk d vulkj l{ke ikf/kdkjh }kjk tkjh tkfr iek.k&i=A

6@ l{ke vf/kdkjh }kjk tkjh LFkk;h fuokl iek.k&i=A

7@ fodykx mEehnokj dk ftyk efMdy ckM iek.k&i=A

8@ ftyk lfud dY;k.k vf/kdkjh }kjk tkjh Hkrio lfud gku lc/kh iek.k&i=A

9@ rhlj cPp d gku dh fLFkfr e rhlj cPpk dk tUe iek.k&i= lyXu dj A

dk;ky; uxjikfydk fuxe@uxjikfydk@uxj ipk;r@
ftyk ipk;r@tuin ipk;r ----------ftyk----------

%% ikorh %%

fnukd----------

Jh@Jherh@dekjh----------firk@ifr Jh---------- l lfonk 'kkyk f'k{kd J.kh&1@ J.kh&2@J.kh&3 fo"k;@fo"k; leg----------gr vkonu i= ikIr gvk gA vkonu i= ljy dekd----------fnukd ----------ij ithdr fd;k x;k gA vkonu i= d lkFk fuEufyf[kr nLrkotk dh Nk;kifr ikIr gb g %&

1@ tUefrfFk iek.kh dj.k lc/kh iek.k i= A ¼gk@ugh½

2@ 'k{kf.kd ;kX;rk lc/kh iek.k&i= ¼gkbLdy d i'pkr½ ¼gk@ugh½

3@ if'k{k.k ;kX;rk lc/kh iek.k& i=A ¼gk@ugh½

4@ 0;kolkf;d ijh{kk e.My }kjk tkjh iek.k&i=A ¼gk@ugh½

5@ lkekU; i'kklu foHkkx d }kjk tkjh fun'kk d vulkj l{ke ikf/kdkjh }kjk tkjh tkfr iek.k&i=A ¼gk@ugh½

6@ l{ke ikf/kdkjh }kjk tkjh LFkk;h fuokl iek.k&i=A ¼gk@ugh½

7@ fodykx mEehnokj dk ftyk efMdy ckM iek.k&i=A ¼gk@ugh½

8@ ftyk lfud dY;k.k vf/kdkjh }kjk tkjh Hkrio lfud gku lc/kh iek.k&i=A ¼gk@ugh½

gLrk{kj
vkonu i= ikIrdrk
okLr uxjikfydk fuxe@uxjikfydk@
uxj ipk;r@ftyk ipk;r@
tuin ipk;r ----------ftyk-------

vkonu i= Hkju gr vko';d fun'k

¼v½ vkonu ifr gr lkekU; fun'k ¼

1- vH;Fkh }kjk vkonu i=] ?kk"k.kk, ,o lyXu leLr nLrkotk ij i"B dekd vfdr fd;k tk, ,o vkonu i= d e[; i"B ij nk;h vkj dy i"Bk dh l[;k vfdr dh tk, A

2- vkonu i= d e[k i"B ij nk;h vkj Lo; dk gky gh e fy;k x;k 4 X 6 leh0 vkdkj dk Cyd ,.M 0gkbV QkVk pLik dj A

3- vkonu i= e ;g Li"V mYy[k dj fd vkonu lfonk 'kkyk f'k{kd J.kh&1 vFkok J.kh&2 vFkok J.kh&3 d fy, fdl fo"k;@fo"k; leg d fy, fd;k x;k g A

4- vkonu i= d lkFk vH;Fkh }kjk vkonu i= d lyXu ik:i vulkj ?kk"k.kk dh tk, rFkk mld }kjk lyXu fd, x, nLrkotk dk fooj.k vfdr fd;k tk, A

5- vH;Fkh }kjk vkonu i= d lkFk ey nLrkot lyXu ugh fd; tk, cfYd lHkh nLrkotk dh Loiekf.kr **(Self-Attested)** Nk;kifr lyXu dh tk, A

6- vH;Fkh }kjk vkonu i= e lHkh fcUnvk dh tkudkjh vfdr dju d i'pkr viuk uke] LFkku ,o frfFk dk mYy[k djr g, gLrk{kj fd; tk, A

¼c½ vkonu i= ifr gr fcUnokj fun'k ¼

1- vkond] vkonu i= d fcUn dekd&1 e viuk i.k uke U;ure vgrkdkjh ijh{kk dh vd lph d vulkj vfdr dj A ;Fkk J.kh&1 d fy, Lukrdkrj ijh{kk J.kh&2 d fy, Lukrd ijh{kk ,o J.kh&3 d fy, gk;j ld.Mjh ijh{kk U;ure vgrkdkjh ijh{kk gkxh A

2- fcUn dekd&2 e vH;Fkh viu firk @ ifr dk uke ;Fkk mfpr le> vfdr dj A

3- fcUn dekd&3 e vH;Fkh }kjk iox ¼vukjf{kr@v0tk0@v0t0tk0@v0fi0o0@ Primitive Tribe½ dk mYy[k fd;k tk, A vkjf{kr iox d vH;Fkh l{ke vf/kdkjh }kjk tkjh iek.k&i= Hkh vfuok; :i l lyXu dj A

4- fcUn dekd&4 e vH;Fkh }kjk fodykxrk d lc/k e tkudkjh nt dh tk,xh A fodykx vH;Fkh fty efMdy ckM }kjk tkjh fodykxrk lc/kh iek.k&i= vfuok; :i l lyXu dj A

5- fcUn dekd&5 e vH;Fkh }kjk Hkrio lfud d lc/k e tkudkjh nt dh tk, A Hkrio lfud vH;Fkh fty lfud dY;k.k vf/kdkjh }kjk tkjh Hkrio lfud gku lc/kh iek.k&i= lyXu dj A

6- fcUn dekd&6 e vH;Fkh }kjk vdk ,o 'kCnk e tUefrfFk vfdr dh tk, A tUefrfFk d iek.khdj.k gr gkbLdy@gk;j ld.Mjh ijh{kk iek.k&i= lyXu dj A

7- fcUn dekd&7 ,o fcUn dekd&8 e vH;Fkh de'k i= 0;ogkj dk irk rFkk njHkk"k dekd nt djA

8- fcUn dekd&8 e LFkk;h irk ,o njHkk"k dekd nt djA

9- fcUn dekd&9 e vH;Fkh }kjk viu xg fty dk uke vfdr fd;k tk,A

10- fcUn dekd&10 e vH;Fkh }kjk fookfgr@vfookfgr gku lc/kh tkudkjh vfdr dh tk,A fookfgr gku dh fLFkfr e fookg dh fnukd dk Hkh mYy[k fd;k tk,A

11- fcUn dekd&11 e fookfgr vH;Fkh }kjk mld cPpk dh l[;k nt dh tk,A

12- fcUn dekd&12 e ;fn fookfgr vH;Fkh d nk l vf/kd cPp g rk rhlj cPp dk tUe 26 tuojh&2001 d i'pkr gvk g@ugh gvk g d lc/k e tUe iek.k i= lyXu dj A

13- fcUn dekd&13 e vH;Fkh }kjk gkbLdy l ikjHk djr g, mld }kjk dky dekulkj vftr dh xb 'k{kf.kd ;kX;rkvk dk fooj.k ijh{kk dk uke] mRrh.k dju dk o"k] ckM@fo'ofo|ky; dk uke] fy, x, e[; rhu fo"k;] i.kkd] ikIrkd ,o ikIrkdk dk ifr'kr nt fd;k tk, rFkk ikIr 'k{kf.kd ;kX;rkvk dh vd lph lyXu dh tk,A

14- fcUn dekd&14 e vH;Fkh }kjk if'k{k.k lc/kh ;kX;rkvk dk fooj.k ijh{kk dk uke] mRrh.k dju dk o"k] ckM@fo'ofo|ky; dk uke] i.kkd] ikIrkd ,o ikIrkdk dk ifr'kr nt fd;k tk, rFkk ikIr if'k{k.k lc/kh ;kX;rkvk dh vd lph lyXu dh tk, A

15- fcUn dekd&15 e vH;Fkh }kjk 0;kolkf;d ijh{kk e.My] e/;in'k Hkkiky }kjk vk;kftr lfonk 'kkyk f'k{kd ik=krk ijh{kk dk fooj.k lfonk 'kkyk f'k{kd J.kh] vudekd] fo"k;@fo"k;leg] ikIrkd ,o ikIrkdk dk ifr'kr nt fd;k tk, rFkk 0;kolkf;d ijh{kk eMy }kjk tkjh iek.k&i=@ vd lph lyXu dh tk, A

lfonk 'kkyk f'k{kd J.kh----------fo"k;@fo"k; leg ---------- gr| ikIr vkonu i=k dk vfHky[k ¼iii=&1½

l0d0	vkond dk uke	firk @ifr dk uke	iox ¼vtk0 @ vttk0@ fi0o0@ vukjf{kr½	'k{kf.kd ;kX;rk			tUe fnukd	i:"k@ efgyk	l{ke ikf/kdkjh }kjk tkjh iek.k i=k lyXu gku ij gh vfdr dj ¼fodykx @Hkrio lfud½	fookfgr@ vfookfgr	fookfgr gku dh fLFkfr e cPpk dh l[;k	lfonk 'kkyk f'k{kd ik=rk ijh{kk e ikIrkd	lfonk 'kkyk f'k{kd ik=rk ijh{kk d ikIrkdk dk vf/kHkkj ¼dkye u- 13 e vfdr ikIrkdk dk 40 ifr'kr½	fu;e 6 ½9½ ¼x½ d rgr mYyf[kr if'k{k.k ikIr fd;k g ;fn gk rk vkond d uke d lEe[k vf/kHkkj 20 vd vfdr fd;k tko A	dkye u0 14 ,o 15 dk ;kx	vkond dk i= 0;ogkj dk irk
				gk;j ld.Mjh ¼dyk@ foKku@ dkel@ vU;½	Lukrd ¼ch0 ,l0 lh0@ ch0,0@ ch0dke0 @ vU;½	Lukr&dkRrj d fo"k;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

fVli.kh ¼& dkye Ø- 14 dh tkudkjh ifji= dh dfMdk&5 e mYyf[kr mnkgj.k vuIkj ifr dh tk,xhA

e-mail